विनियमों की सूचीकरण के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन के संबंध में वेबसाइट पर प्रकटन

कंपनी का नया एवं पुराना नामहमारी कंपनी की स्थापना, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन **"हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड"**, के रूप में 25 अप्रैल 1970 को एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में नई दिल्ली में हुई। बाद में कंपनी का नाम बदलकर **"हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड"** रख दिया गया और कंपनी का नया प्रमाण-पत्र दिनांक 09 जुलाई, 1974 को दिल्ली व हरियाणा के कंपनी रंजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया।

व्यापार के विवरण

कंपनी स्थापना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:-

(1) आवासीय उद्देश्यों के लिए घरों के निर्माण हेतु दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना अथवा आवास व शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रदान करना एवं संचालित करना।

(2) नए अथवा सेटेलाइट कस्बों की स्थापना तथा इनके लिए पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त प्रदान करना।

(3) राज्य आवास (अथवा शहरी विकास) बोर्ड, सुधार ट्रस्टों, विकास प्राधिकरणों आदि द्वारा विशेष रूप से आवास व शहरी विकास कार्यक्रम हेतु वित्त प्रदान करने के लिए जारी किए गए ऋण पत्र और बांड के लिए सब्सक्राइब करना।

(4) भवन निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों की स्थापना हेतु वित्त प्रदान करना।

(5) भारत सरकार और अन्य स्रोतों से अनुदान के रूप में समय-समय पर प्राप्त पूंजी का प्रबंधन अथवा देश में आवास व शहरी विकास कार्यक्रमों को वित्त प्रदान करना।

(6) भारत और विदेशों में आवास व शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित डिजाइन परियोजनाओं तथा कार्ययोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाओं को प्रोन्नत करना, स्थापित करना, सहयोग व सहायता देना।

(7) आवास व शहरी विकास क्षेत्रों में वेन्चर केपिटल फंड का व्यापार करने के लिए नए अभियानों को सुगम बनाना तथा उपरोक्त क्षेत्रों में सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा वेन्चर केपिटल फंड की यूनिट/शेयर आदि में निवेश और/अथवा सब्सक्राइब करना।

(8) आवास व शहरी विकास कार्यक्रम हेतु हडको का अपना म्यूचअल फंड स्थापित करना और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रोन्नत म्यूचअल फंड की यूनिटों में निवेश और/अथवा सब्सक्राइब करना।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम व शर्तें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(9) के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों व अन्य लागू होने वाले कानूनों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को इस अधिनियम एवं समय-समय पर संशोधित सूचीकरण समझौता का अनुपालन करते हुए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार होगा।

गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशकों) को भुगतान के मापदंड

हडको के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 39 (पी) के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशकों) को निदेशक मंडल या किसी समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए उपस्थिति मानदेय दिया जा सकता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अलग से आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित रहने के लिए भी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। अनुमति प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैठकों में भाग लेने के लिए भी मानदेय दिया जाएगा।

वर्तमान में गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशकों) को बोर्ड 20,000/- रुपये प्रति बैठक तथा निदेशक समिति की बैठक के लिए 15,000/- रुपये प्रति बैठक की दर से उपस्थिति मानदेय दिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अंशकालिक अधिकारिक निदेशकों (सरकारी निदेशकों) को निदेशक मंडल या संबंधित अन्य समिति की किसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए कंपनी द्वारा किसी प्रकार का पारिश्रमिक या उपस्थिति मानदेय नहीं दिया जाता है।

निदेशक मंडल की समिति का गठन

क्रम सं.	**समितियां**	**सदस्य**
1	**लेखापरीक्षा समिति**	
	श्री मुकेश आर्य	अध्यक्ष
	श्री राजीव रंजन मिश्रा	सदस्य
	प्रो. चेतन वी. वेद्या	सदस्य
	श्री अमरीश कुमार गोविंदलाल पटेल	सदस्य
2	**कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति**	
	डॉ. एम रविकांत	अध्यक्ष
	श्री मुकेश आर्य	सदस्य
	प्रो. चेतन वी. वेद्या	सदस्य
	श्री अमरीश कुमार गोविंदलाल पटेल	सदस्य
3	**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)**	
	श्री आनंद के पंडित	अध्यक्ष
	श्री मुकेश आर्य	सदस्य
	प्रो. चेतन वी. वेद्या	सदस्य
	श्री अमरीश कुमार गोविंदलाल पटेल	सदस्य
4	**स्टेकहोल्डर संबंध समिति**	
	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	अध्यक्ष
	श्री एन.एल. मंजोका	सदस्य
	श्री राकेश कुमार आर्य	सदस्य
	श्री आनंद के पंडित	सदस्य

शेयरधारण पद्धति

नीचे दी गई तालिका हडको की इक्विटी शेयरधारण पद्धति को दर्शाती है:-

श्रेणी (1)	शेयरधारकों की श्रेणी (2)	शेयरधारकों की सं. (3)	पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर की सं. (4)	अंशकालिक प्रदत्त इक्विटी शेयर की सं. (5)	जमा की गई रसीदों के अंतर्गत शेयर सं. (6)	शेयरों की कुल सं. (7)= (4)+(5)+(6)	एससीआरआर 1957 के अनुसार कुल शेयरों के % के रूप में शेयरधारण (8) (क+ख + ग2) का %	प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में मताधिकारों की सं. (9)				बकाया परिवर्तनशील प्रतिभूति (वारंट सहित) शेयरों की सं. (10)
								मताधिकारों की सं.				
								श्रेणी	श्रेणी	कुल	(क+ख+ग) का कुल %	
								इक्विटी	लागू नहीं			
क	प्रोमोटर व प्रोमोटर ग्रुप	8*	2,001,900,000	-	-	2,001,900,000	100	2,001,900,000	-	2,001,900,000	100	-
ख	पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	नॉन-प्रोमोटर-नॉन-पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग1	डीआर के अंतर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	त शेयर											
ग2	कर्मचारी ट्रस्टों के शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क) + (ख)+ (ग)	8*	2,001,900,000	-	-	2,001,900,000	100	2,001,900,000	-	2,001,900,000	100	-

भारत का राष्ट्रपति हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर के 100 प्रतिशत का धारक है जिसमें से 2,001,899,300 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धारित हैं तथा उनके नामिति के रूप में श्री राजीव रंजन मिश्रा, सुश्री झंजा त्रिपाठी, श्री टीके मजूमदार, सुश्री अर्चना मित्तल, श्री एसबी सिन्हा और श्री रमेशचंद के पास 100 इक्विटी शेयर हैं।

हमारी कंपनी के सभी इक्विटी शेयर समापन प्रक्रिया में हैं और इनके समापन हेतु हमारी कंपनी ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटैड के साथ मिलकर दिनांक 24 व 25 नवंबर, 2016 को क्रमश: एनएसडीएल व सीडीएसएल के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है।

सूचीबद्ध संस्थाओं के अधिकारियों की संपर्क सूचना, ईमेल, शिकायत निवारण तथा अन्य विवरण जो निवेशकों की शिकायत सुनने एवं उनकी सहायता करने के लिए उत्तरदायी हैं

श्री हरीश कुमार शर्मा
कंपनी सचिव
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको, हडको भवन, कोर–7ए, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
टेलीफोन नं. : 011-24648420
फैक्स नं. : 011-24615534
ईमेल आईडी : hudco1970@gmail.com

मीडिया कंपनियों और/अथवा उनके सहयोगियों के साथ किए गए समझौतों का विवरण

हडको ने रचनात्मक विज्ञापन अभियानों को डिजाइन करने व प्रासांगिक मीडिया योजनाओं के सुझाव हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञ उलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक दो वर्ष के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के साथ समझौता किया है। विज्ञापन एजेन्सियों अपने सतत अभियानों के माध्यम से हडको ब्रांड को समय-समय पर बढावा देती हैं।

1. श्रेष्ठ कम्यूनिकेशन्स
2. अकबर एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग
3. क्रिटिक कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4. पूर्णिमा एडवरटाइजिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
5. प्रोमोडोम कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

संबंधित पार्टियों की लेनदेन संबंधी नीति

लेखा मानकों/कंपनी अधिनियम की आवश्यकतानुसार वार्षिक वित्तीय सारणियों में पार्टी की लेनदेन संबंधी प्रकटन का कार्य पूरा किया जा रहा है।

सामग्री संबंधी पार्टी की लेनदेन हेतु अनुमोदनसंबंधित विभागों अथवा पहले से अनुमोदित हडको दिशानिर्देशों के अनुसार सामग्री संबंधित पार्टी की लेनदेन हेतु अनुमोदन लिए जाते हैं। (जैसे पूर्णकालिक निदेशकों को एचबीए अथवा त्यौंहार अग्रिम)

वित्तीय परिणामवित्तीय परिणामों को लेखा मानकों/कंपनी अधिनियम के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है तथा उनका अनुपालन किया जा रहा है।